वाद सं. 28/13 सज्जनदेवी/नगरसुधार न्यास

7—2—2019

वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी सं. 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी. एवं एक अन्य प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 19 नियम 2 सीपीसी. पर बहस सुनी गई। दोनों पक्षकारान द्वारा बहस की गई, लिखित बहस भी पेश की गई।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी. पर प्रतिवादी सं. 3 की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादपत्र में वादी द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है उसके लिए वांछित न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया है इसलिए दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किये जाने से वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादपत्र जिस लीजडीड को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है वह लीजडीड उत्तरदाता को नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा विधिनुसार प्रदान की गई है, जिससे उसे माननीय न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। यह भी निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लम्बित होने से उत्तरवर्ती मुकदमा पोषणीय नहीं है इसलिए वाद खारिज करने की कृपा करें।

वादी ने विरोध में तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित बिन्दुओं का निस्तारण उक्त प्रार्थनापत्र के निस्तारण के समय नहीं किया जा सकता। विवाद बिन्दुओं का निस्तारण साक्ष्य के उपरांत ही किया जा सकता है। वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन नियमानुसार किया जाकर ही न्यायशुल्क अदा

किया गया है। प्रस्तुत वाद में अवाप्त की कार्यवाही एवं भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती नहीं दी गई है। प्रतिवादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका एवं वर्तमान वाद की विषयवस्तु एवं अनुतोष भिन्न हैं। इसलिए प्रार्थनापत्र खारिज करने की कृपा करें।

सुना गया। प्रतिवादी के द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किये गए उसके मुताबिक सर्वप्रथम तो वांछित न्यायालय शुल्क अदा नहीं करने से दावा खारिज करने के संबंध में तर्क दिया गया है। इसपर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा उक्त दावा पटटा केंसिलेशन का पेश किया गया है जो पट्टा पत्रावली पर अवस्थित है। उक्त पट्टे में प्रतिफल राशि 1,18,011/– अदा की गई है। दावे के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी द्वारा न्यायालय शुल्क उक्त 1,18,011/– पर अदा किया गया है तथा उसी अनुरूप दावा का मूल्यांकन वादी द्वारा किया गया है। इसलिए प्रतिवादी सं. 3 का उक्त तर्क तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, इसलिए इस तर्क को अस्वीकार किया जाता है।

इसके अलावा एक अन्य तर्क भी यह रहा कि वादी द्वारा जो दावा लीजडीड निरस्त करने का पेश किया गया है, नगर सुधार न्यास अधिनियम के अनुसार उक्त दस्तावेज को इस न्यायालय में सुनवाई हेतु वादी प्रस्तुत नहीं कर सकता है, इसलिए अवाप्तशुदा भूमि है उसके संबंध में विचारण करने का न्यायालय श्रीमान को अधिकार नहीं है। इसके संबंध में भी पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि वादी द्वारा उक्त वाद लीजडीड केंसिलेशन का प्रस्तुत किया गया है। यहां पर यह तथ्य देखना आवश्यक है कि कोई भी विक्रय विलेख, पट्टा, आवंटनपत्र जो किसी भी संस्था द्वारा दिया गया हो, किसी

भी विभाग द्वारा दिया गया हो। उन ऐसे विक्रयपत्रों, आवंटनपत्रों या विक्रय विलेखों को यदि कोई पक्षकार निरस्त करवाना चाहता है, तो उसका सीधा सा अधिकार सिविल न्यायालय को है। जहां तक नगरसुधार न्यास अजमेर द्वारा कोई पटटा जारी किया गया हो तो उसको केंसिलेशन का कोई दावा दूसरा पक्षकार करता है तो उक्त दावा सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही आता है इसलिए प्रतिवादी सं. 3 द्वारा इस संबंध में भी जो तर्क प्रस्तुत किये गए हैं वे भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होते हैं।

जहां तक प्रतिवादी सं.3 द्वारा यह तर्क दिया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका लम्बित है। इस संबंध में प्रतिवादी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट निस्तारित कर दी गई है, जिसका आदेश भी वादी द्वारा पेश किया गया है। उक्त आदेश में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि पिटिशनर यदि सिविल कोर्ट में जाता है तो वह वहीं पेश कर सकता है इसलिए माननीय उच्च न्यायालय में भी इस संबंध में कोई रिट याचिका लम्बित नहीं है।

लिहाजा उक्त विवेचनानुसार प्रतिवादी सं.3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

————————

एक अन्य प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 19 नियम 2 सपठित धारा 151 सीपीसी. पर प्रतिवादी सं. 3 की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में जो शपथपत्र प्रस्तुत किया है उसकी रोशनी में जिरह करना

प्रकरण में लम्बित प्रार्थनापत्र से पूर्व आवश्यक है। इसलिए वादिया से जिरह करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

वादी की ओर से विरोध में तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादपत्र के साथ प्रस्तुत शपथपत्र धारा 3 साक्ष्य अधिनियम की परिभाषा में नहीं आता है जिससे जिरह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रार्थनापत्र विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज करने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र के संदर्भ में प्रतिवादी सं. 3 की ओर से जो तर्क दिया गया उसका यदि अवलोकन किया जावे तो उक्त तर्क तर्कसंगत प्रतीत नहीं हो रहा है क्यों कि वादी द्वारा जो शपथपत्र अपने दावे के साथ पेश किया गया है वह शपथपत्र आदेश 6 नियम 15(4) सीपीसी. के प्रावधानों के तहत पेश किया गया है। जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि पक्षकार अपनी प्लिडिंग को साबित करेगा और उसके समर्थन में शपथपत्र पेश करेगा। इसलिए वादी द्वारा जो वादपत्र के साथ शपथपत्र पेश किया गया है वह दावे के समर्थन में पेश किया गया है, न कि साक्ष्य का शपथपत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी. के तहत पेश किया गया। क्यों कि साक्ष्य के बतौर आदेश 18 नियम 4 सीपीसी. में यदि वादी शपथपत्र पेश करता है तो निश्चित रूप से जिरह का अवसर प्रतिवादी को प्राप्त होता। लेकिन जहां शपथपत्र दावे के समर्थन में पेश किया गया है, उसपर वादी से जिरह का कोई अधिकार प्रतिवादी को प्राप्त नहीं है।

लिहाजा उक्त विवेचनानुसार प्रतिवादी सं. 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 19 नियम 2 सीपीसी. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

प्रकरण में आज विवाद्यक विरचित किये जाकर व्याख्या की गई, तो अन्य विवाद्यक होना नहीं बताया गया।

आगामी पेशी पर वादी अपनी समस्त साक्ष्य के शपथपत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी. के तहत आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक..... को पेश हो।